

पंजीकृत पावती
भारतसरकार
खानमंत्रालय
भारतीयखानब्यूरो
क्षेत्रीयखाननियंत्रककार्यालय
कर्मयोगीभवन, चतुर्थमाला, ब्लॉक-2, सीविंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



उल्लंघन पत्र
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing,
Sec10A, Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail:ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावलीसंख्या: MCDR-MiFLOBXT/100/2022-GNR-IBM_RO_GNR Mine code: 07GUJ07034

D-156/23

दिनांक: 29.12.2023

सेवा में:

Saurashtra Calcine Bauxite & Allied Industries
SHREE CHAMBER, III RDFLOOR,
OPP. M.E.M SCHOOL
- PORBANDAR, 360575

E mail:- scabalindia@gmail.com,
scabalbhatiya@gmail.com
Mobile:9979887507, 9979887508

विषय :गुजरात राज्य के जिला: देवभूमि द्वारका की तालुका-कल्याणपुर में स्थित आपकी मेवासा बाक्साइट खदान, क्षेत्रफल -3.12 हेमें खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, घन।के नियमों का उल्लंघन 2017

महोदय,


आपकी उपरोक्त खान का रिज्यू खनन योजना निरीक्षणअधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.11.2023 कोश्रीउदयबारिया,प्रबन्धक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघनों के प्रकारों का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684 (4) (1) /MP-229/2019/MDRD(N)GNR दिनांक 09.07.2019 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (i) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार वर्ष 2022-23 में पर्यावरण सुधार हेतु 20 पौधें लगाकर वृक्षारोपण करना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित वृक्षारोपण नहीं किया गया है। (ii) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार वर्ष 2022-23 में खान पर 100 मी. Fencing लगाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित Fencing नहीं लगाई गई है।

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।
०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय



सुनील कुमार शर्मा
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर -सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

भवदीय

सुनील कुमार शर्मा
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो